निरीक्षण टिप्पणी कार्यालय विकास खण्ड सुमेरपुर।

दिनांक 24–2–2015 को मेरे द्वारा विकास खण्ड कार्यालय सुमेरपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री श्रवण कुमार सिंह तोमर खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित मिले।

उपस्थिति

उपस्थिति पंजिकाओं का अवलोकन किया गया। विकास खण्ड के अंतर्गत तीन उपस्थिति रजिस्टर बनाये गये हैं। नियमित कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया। श्री प्रकाश नारायन सचान,अवर अभियन्ता लघु सिंचाई के उपस्थिति के कालमें टूर अंकित है। ये दिनांक 23–2–2015 को एवं दिनांक 20–2–2015 को भ्रमण पर थे। मुख्य विकास अधिकारी दिखवायें कि इनके द्वारा उक्त भ्रमण तिथियों में क्या कार्यवाही की गयी है? विकास खण्ड के अंतर्गत सात सहायक विकास अधिकारी कार्यरत है। कालीदीन के अतिरिक्त कोई भी सहायक विकास अधिकारी न तो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे है और न ही क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं। सहायक विकास अधिकारियों द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा कोई भ्रमण कार्यक्रम भी नहीं बनाया गया है।

विकास खण्ड में कार्यरत तकनीकी सहायकों की उपस्थिति चेक की गयी। उपस्थिति पंजिका में अंकित क्रमांक 05 से 14 तक तकनीकी सहायकों के हस्ताक्षर नहीं है। श्री अशोक द्विवेदी दिनांक 19,20,21 एवं 23 फरवरी 2015 में हस्ताक्षर नहीं है। रामबाबू विश्वकर्मा तकनीकी सहायक द्वारा दिनांक 19 फरवरी से अब तक हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि श्री विश्वकर्मा की संविदा समाप्त हो गयी है। यदि संविदा समाप्त हो गयी है तो फिर इनका नाम उपस्थिति पंजिका में क्यों दर्ज है ? इनका संविदा समाप्ति सम्बन्धी आदेश के सम्बन्ध में स्थापना लिपिक द्वारा बताया कि उसे अभी तक आदेश नहीं मिला है। खण्ड विकास अधिकारी को तत्काल इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने एवं अनुपस्थित तकनीकी सहायकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकास खण्ड में तीन कर्मचारी कार्यरत हैं। सभी उपस्थित मिले। विकास खण्ड में योजना के तहत एक भी समूह कार्य नहीं कर रहा है,जबकि एक वर्ष से अधिक कार्य करते हुए हो गये है। योजनान्तर्गत अब तक कितने एवं इस माह कितने समूह बनाये गये हैं,उपस्थित कर्मचारी संतोषजनक उत्तर तक नहीं बता सके। विकास खण्ड के अंतर्गत अब तक मात्र 48 पत्रावलियां बैंक को लोनिंग

हेतु भेजी गयी है,इनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में कर्मचारियों को कुछ पता नहीं हैं। ये पत्रावलियां बैक को किस पत्रांक एवं दिनांक से भेजी गयी है,इसका विवरण भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। निर्देश दिये गये कि तत्काल इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। विकास खण्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्य बहुत खराब है,कोई भी कार्य नहीं हुआ है। योजना का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन/खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर)

ग्राण्ट रजिस्टर

ग्राण्ट रजिस्टर 01 देखा गया। ग्राण्ट रजिस्टर में प्रमाण पत्र नहीं लगा है न ही पेज नम्बर अंकित किया गया हैं। 03सितम्बर 2014 के बाद से कोई ग्राण्ट न मिलना उल्लिखित है,जबकि 13हवें एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत विकास खण्ड को धनराशि दी गयी है तथा अन्य मदों में भी धनराशि दी गयी है। 2014–15 के बाद से ग्राण्ट रजिस्टर में खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राण्ट रजिस्टर को अद्यावधिक रखने के निर्देश दिये गये।

ग्राण्ट रजिस्टर 02 देखा गया। ग्राण्ट रजिस्टर फट गया है तथा इसके पेज रजिस्टर से बाहर निकल रहे हैं। रजिस्टर के पेज नम्बर 21 में बहुत अधिक अपरलेखन एवं कटिंग की गयी है।

ग्राण्ट रजिस्टर 03 देखा गया। ग्राण्ट रजिस्टर में प्रमाण पत्र नहीं लगा है न ही पेज नम्बर अंकित किया गया हैं। किसी भी माह का बैंक से सत्यापन नहीं कराया गया है। उक्त तीनों रजिस्टरों का खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही उन्हें इन रजिस्टरों में दर्ज धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी है। रजिस्टर में निम्नलिखित मदों में निम्नानुसार धनराशि बाकी है,जिसे व्यय नहीं किया गया है :–

1–13हवें वित्त आयोग का 6752505 रू0 पडा है,सिसे व्यय नहीं किया गया है।
2–राज्य वित्त आयोग का 4,89,000–00रू0 पडा है,जिसे व्यय नहीं किया गया है।
3–विधायक निधि के तहत 4,20,702–00रू0 अभी तक व्यय नहीं किया गया है।
4–विधान परिषद निधि के तहत 40680–00रू0 अभी तक व्यय नहीं किया गया है।
5–ऋण सह अनुदान योजना के तहत 93964–00 रू0 अभी पडा है,व्यय नहीं किया गया है।6
6–पिछडा अनुदान निधि के अंतर्गत6735665–00रू0 पडा है,व्यय नहीं किया गया है।
7–बायोगैस अनुदान के तहत 40000–00रू0पडा है।
8–आयकर हेतु 32412–00रू0 है।
9–व्यापार कर हेतु 57116–00रू0 है।
10–जमानत धनराशि का 541639–00रू0 पडा है।
11–स्टाम्प ड्यूटी 65560–00रू0 पडा है।
12–रायल्टी का 76464–00रू0 पडा है।

विभिन्न मदों के अंतर्गत अत्यधिक धनराशि पडी है,जिसे व्यय नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड में कोई कार्य नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर)

कम्प्यूटर कक्ष–कम्प्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया। कम्प्यूटर कक्ष में अत्यधिक गंदगी एवं विद्युत तार बिखरे एवं अव्यवस्थित मिले। कक्ष की खिडकी टूटी है तथा कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों हेतु प्रयोग की जा रही मेज का शीशा टूटा है। निर्देश दिये गये कि बिखरे एवं अव्यवस्थित विद्युत एवं अन्य तारों को सही कराया जाये तथा खिडकी एवं शीशे को तत्काल ठीक कराया जाये।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–विकास खण्ड के अंतर्गत मनरेगा के तहत 768.63 लाख लेबर बजट के सापेक्ष 368.57 लाख ही व्यय किया गया है,तो लेबर बजट के सापेक्ष मात्र 47.95 प्रतिशत ही है। माह फरवरी में अब तक 28.00लाख ही व्यय हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी उक्त प्रगति के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेबर बजट के सापेक्ष निर्धारित मानक के अनुरूप व्यय सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक डीआरडीए/खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर)

अन्य बिन्दु–पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में विकास भवन एवं सभी विकास खण्डों "बेव कैमरा" लगवाया जाये,ताकि नियमित रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की चेकिंग इसके माध्यम से करायी जा सके।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी)

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर।

संख्या– 526 /पी0ए0 दिनांक–फरवरी 26, 2015

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–आयुक्त,चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
3–मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।
4–परियोजना निदेशक डीआरडीए हमीरपुर।
5–उपायुक्त,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमीरपुर।
6–खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर।
7–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0 को बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।